UPSI010018142026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, सीतापुर।

उपस्थित : आशीष जैन, एच.जे.एस.

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र सं0 140/2026

सी.आई.एस. नं.–770/2026

अनुराग स्वरूप उम्र 41 वर्ष पुत्र राम स्वरूप निवासी ग्राम रमपुरवा नैपालापुर थाना कोतवाली देहात जिला सीतापुर। प्रार्थी/अभियुक्त ।

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार । ..अभियोजक।

अ0सं0–46/2026
धारा–318(4)बी.एन.एस
थाना–कोतवाली
जिला–सीतापुर।

निस्तारण प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र

यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थी/अभियुक्त अनुराग स्वरूप की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 46/2026 धारा 318(4) बी.एन.एस. थाना कोतवाली जिला सीतापुर के मामले में प्रस्तुत किया गया है।

जमानत प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से स्वयं के शपथ पत्र दाखिल किया गया है जिसमें जमानत प्रार्थनापत्र में मुख्य रूप से यह कहा गया है कि अभियुक्त का यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र है, इस प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के अलावा अन्य कोई प्रार्थना पत्र न तो किसी न्यायालय में, न ही माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है और न ही निरस्त हुआ है।

मामले के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण प्रतीक शुक्ला, रीना शुक्ला, राजकुमार शुक्ला व अर्चना मिश्रा, के द्वारा इस आशय का प्रार्थनापत्र दिया गया कि अनुराग स्वरूप के द्वारा धोखाधड़ी के शिकार हुए हैं। वादी मुकदमा प्रतीक शुक्ला, अनुराग स्वरूप को वर्ष 2006 से 2008 तक जानता था, उस समय वह पोस्टपेड मोबाइल बिल का भुगतान लेने आता था, किन्तु उसके बाद लगभग 17 वर्षों तक कोई सम्पर्क नहीं रहा। दिनांक 10.09.2025 को अनुराग स्वरूप का फोन आया और उन्होंने बताया कि वह सी.एम.ओ. में मोबाइल यूनिट का कार्य देखते हैं तथा उसके सी.एम.ओ. से अच्छे संबंध हैं और एनएचएम में विभिन्न पदों पर नौकरी निकलने की बात कहकर प्रार्थीगण को प्रलोभन दिया। इस पर प्रार्थी प्रतीक शुक्ला ने अपनी पत्नी रीना शुक्ला के लिए कम्प्यूटर आपरेटर की नौकरी, अपने मामा के लड़के राजकुमार शुक्ला के लिए गेटकीपर/सिक्योरिटी की नौकरी, अपने लिए एडीएस की नौकरी तथा अपने परिचित सुधाकर मिश्रा की पुत्री अर्चना मिश्रा के लिए सीएचओ की नौकरी हेतु कहा, जिससे अनुराग स्वरूप ने चारों की नौकरी लगवाने का आश्वासन दिया। इसके पश्चात अभियुक्त ने चारों व्यक्तियों से आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, कैसिंल चैक, ब्लैंक साईन किए हुए चैक, रू100.रू100 के स्टाम्प पेपर, शैक्षिणिक प्रमाण पत्र, 12–12 फोटो तथा

Digitally signed by Ashish Jain
Date: 2026.04.01 17:29:15 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court,Stp

आय व निवास प्रमाण पत्र ;जो अभियुक्त ने स्वयं बनवाये थे प्राप्त किए तथा रीना शुक्ला से रू 32,000/–, राजकुमार शुक्ला से रू 57,000/–, प्रतीक शुक्ला से रू 32,000/– एवं अर्चना मिश्रा से रू1,42,000/– धनराशि ली। दिनांक 17.11.2025 को प्रार्थीगण द्वारा सी.एम.ओ कार्यालय जाकर डीपीएम से जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि अनुराग स्वरूप वहां कार्यरत नहीं है, जिसस पर डीपीएम द्वारा अनुराग स्वरूप को समस्त धनराशि एवं दस्तावेज वापस करने के निर्देश दिए तथा एफआईआर करने की सलाह दी गई। इसके पश्चात अभियुक्त ने दिनांक 25.11.2025 को समस्त धनराशि, चैक एवं स्टाम्प वापस करने का आश्वासन दिया, किन्तु आज तक वापस नहीं किया है, जबकि उक्त वार्तालाप मोबाइल में सुरक्षित है। उक्त तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया ।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त ने कथित अपराध नहीं किया है तथा वह बिल्कुल निर्दोष हैं। प्रार्थी/अभियुक्त को उक्त वाद में झूॅठा एवं रंजिशन नामजद किया गया है। प्रार्थी के द्वारा कोई छल नहीं किया गया है। प्रार्थी द्वारा वादीगण से नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी से पैसा नहीं लिया गया है और न ही उक्त घटना के बारे में प्रार्थी को कोई जानकारी है। प्रार्थी पूर्व सजायाता नहीं है और उसके विरूद्ध कोई भी साक्ष्य नहीं है फिर भी पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेना चाहती है। वादी मुकदमा प्रार्थी का 1,67,500/– रूपया वापस नहीं करना चाहता था तब प्रार्थी ने वादी के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा–173(4) बी.एन.एस.एस. में न्यायालय सी.जे.एम. सीतापुर के यहां दिनांक 17.12.2025 को प्रस्तुत किया था जो विचाराधीन है। वादी मुकदमा को जब उक्त वाद की जानकारी हुई तब उसने अपने रिश्तेदारों से मिलकर झूठी घटना बनाकर यह मुकदमा दर्ज करा दिया है। प्रार्थी/अभियुक्त विवेचना में पूर्ण सहयोग करेगा तथा जब भी विवेचक तलब करेगा तब उपस्थित रहेगा। प्रार्थी/अभियुक्त अपनी जमानत देने को तैयार है और दौरान विवेचना जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा। अतः उक्त आधारों पर प्रार्थी/अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ0) द्वारा अग्रिम जमानत का विरोध किया गया है तथा अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

मैने प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ0) के तर्कों को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन प्रपत्रों का सम्यक् परिशीलन किया।

केस डायरी व अभियोजन प्रपत्रो के अवलोकन से प्रथमदृष्टया स्पष्ट है कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रार्थीगण से सरकारी नौकरी लगवाने के लिये छल द्वारा शैक्षिक प्रपत्र बैक पास बुक इत्यादि एवं नगद धनराशि लिये जाने का आरोप है। प्रार्थी/अभियुक्त की कथित घटना में विशिष्ट भूमिका का उल्लेख है। छल द्वारा प्राप्त की गयी कथित धनराशि के विवरण का उल्लेख बैक स्टेटमेंट में होना दर्शित है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। प्रस्तुत मामले में विवेचना प्रचलित है। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत मामलें में प्रथम दृष्टया विधि प्राविधानों का दुरूपयोग परिलक्षित नही हो रहा है। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए

प्रार्थी/अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने का कोई संतोषजनक आधार नहीं पाया जाता है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त अनुराग स्वरूप की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 46/2026 धारा 318(4) बी.एन.एस. थाना कोतवाली जिला सीतापुर के प्रकरण में प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांक : 01.04.2026

(आशीष जैन)
सत्र न्यायाधीश,
सीतापुर।

अजीत.

J.O.Code-UP -2024